

## पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय नवानियां, वल्लभनगर, उदयपुर—313601 राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय

Phone: 02957 - 293021(O)

Email-cvas902@gmail.com deancvasvbn@gmail.com

Dr. C. S. Vaishnava

No.F8 ()/Dean/NVU/Store/RAJUVAS/2017-18/ 697 Date: - 04.08.2017

## किराये के वाहन उपलब्ध कराने के लिए कोटेशन।

पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय, नवानियां, वल्लभनगर के अन्तर्गत (सम्पूर्ण राजस्थान राज्य हेतु) वाहन अनुबंध पर लेने के लिए व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। जिसकी दर एक वर्ष या कल रूपया 100000 (एक लाख) जो भी पहले होगा तक मान्य होगी।

क्र• सं•	वाहन	वाहन संख्या	वाहन नॉन ए.सी.	वहन ए•सी•	रात्रि विश्राम चार्ज	वाहन का क्रय वर्ष
1•	टवेरा					
2•	इनोवा	दर संलग्न प्रपत्र मे देवे।				
3•	बोलेरो					

नोट— उपरोक्त दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित हैं। देय टोल टेक्स,पार्किंग चार्जेज एवं वाहन संबंधी वास्तविक भुगतान निविदाता के द्धारा ही किया जायेगा।

नियम एवं शर्ते :-

1. किराये का वाहन संबंधित अधिकारी, के निर्देशानुसार कार्य पर रहेगा।

2. वाहन प्रतिमाह के लिए अनुबन्धित किया जावेगा। ( राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ-9(1) एफ. डी/(1)/बजट/2015 दिंनाक 15 जुलाई 2015)

3. वाहन का रात्रि विश्राम चार्ज केवल मुख्यालय के बाहर ही देय होगा।

4. फर्म / वाहन मालिक / ठेकेदार सभी कार्य दिवसों के साथ ही राजकीय अवकाश एवम् द्धितीय शनिवार व रिववार को भी विभाग की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करायेगा। वाहन रिववार व अवकाश के दिन उपलब्ध करवाने का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

5. वाहन का संचालन सम्पुर्ण राजस्थान में किया जायेगा ।

6. गाड़ी टेक्सी परिमट होनी चाहिये अनिवार्य है, वाहन से सबंधित पंजीयन, रोड़ टैक्स, किटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा (प्रथम पार्टी ) वाहन मालिक के नाम होना आवश्यक है। वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज नवीनीकरण सुदा पुर्ण होने चाहिये। इसके लिए विभाग द्धारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। फर्म द्धारा उपरोक्त संबंधित वैद्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

7.ड्राईवर वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस धारण किये होना चाहिये तथा न्युनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वाहन चालक के लाईसेंस एवं उसकी आई.डी (पहचान पत्र) की प्रमाणित प्रति विभाग में जमा करानी होगी।

8.वाहन के सभी तरह के टैक्स (टोल टेक्स के अलावा) ठेकेदार/वाहन मालिक/फर्म द्धारा वहन किया जायेगा। यात्रा के दौरान मार्ग में आने वाले नाकों पर टोल टैक्स का भुगतान सम्बन्धित फर्म/वाहन मालिक/ठेकेदार द्धारा किया जायेगा। बिल प्रस्तुत करने पर इसका पुर्नभरण विभाग द्धारा वहन कर भुगतान किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

CVAS, RAJUVAS

CHONEAN 1
COLLEGE OF VET. & ANIMAL RCIENCE
NAVANIA. VA ... SHINAGAR

9. सभी तरह की कटौतियों (यदि हो तो ) जैसे— इन्कम टैक्स, टीडी.एस आदि नियमानुसार भुगतान के समय की जायेगी।

10. वाहन किराये का भुगतान मासिक रुप से चेक द्वारा किया जायेगा। वाहन की लॉग—बुक की पुर्ण प्रविष्टियों के लिये एवं यात्रा सत्यापन के लिये फर्म/वाहन मालिक/ठेकेदार जिम्मेदार होगा। लॉग—बुक की समस्त प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी आवश्यक है। इकजाई रुप से किराये का मासिक भुगतान बिल, लॉग—बक के आधार पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा। वाहन के लिये लॉग—बुक का प्रारुप सलंग्न है।

11. वाहन के लिए ईंधन व ईंधन से संबंधित अन्य सभी संसाधनों/मरम्मत/संचालन इत्यादि की जिम्मेदारी फर्म/वाहन मालिक/ठेकेदार की होगी। इनका सम्पुर्ण व्यय फर्म/वाहन मालिक / ठेकेदार को करना होगा।विभाग द्वारा अनुवंध में नियमानुसार किराये एवं टोल टैक्स राशि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय वहन नहीं किया जावेगा। फर्म/वाहन मालिक /ठेकेदार द्वारा वाहन ईंधन से पुर्ण भरा हुआ उपलब्ध कराया जावेगा। और

आवश्यकता होने पर रास्ते में भरवाकर पूर्ण कराना होगा।

12. वाहन में आवश्यक समस्त प्रकार की मरम्मत तुरन्त प्रभाव से करानी होगी। विभाग द्धारा किसी भी प्रकार की मरम्मत व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। वाहन को दुरस्त हालत में रखने की जिम्मेदारी फर्म/वाहन मालिक/ठेकेदार की होगी। वाहन ख्राब होने की स्थिति में वाहन को शीघ्र ठीक करवाने कि व्यवस्था फर्म/वाहन मालिक/ ठेकेदार की होगी एवम् इस दौरान फर्म/वाहन मालिक/ठेकेदार अन्य वाहन विभाग को उपलब्ध करवायेगा।

13. फर्म / वाहन मालिक / ठेकेदार को निर्धारित प्रारुप में वाहन किराये पर उपलब्ध करा<mark>ने से पुर्व निम्न</mark> हस्ताक्षरकर्ता के साथ 500 / — रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना **होगा। समझौता** 

दस्तावेज पूर्ण करने का सभी व्यय फर्म/वाहन मालिक / ठेकेदार वहन करेगा।

14. फर्म / वाहन मालिक / ठेकेदार द्धारा तय समय में वाहन उपलब्ध करवाना ही इस कान्ट्रेक्ट की मूल भावना है। अतः फर्म / वाहन मालिक / ठेकेदार, विभाग की आवशयकतानुसार वाहन समय पर उपलब्ध करायेगा। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल दुसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विभाग खुले बाजार से अन्य वाहन किराये पर लेने को स्वतंत्र होगा एवम् बाजार दर व टेण्डर की दर में होने वाली अन्तर राशि को फर्म / वाहन मालिक / ठेकेदार से वसुल किया जायेगा।

15. वाहन में होने वाले किसी प्रकार की क्षति, चालान, दुर्घटना इत्यादि के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

सारी जिम्मदारी ठेकेदार/वाहन मालिक की होगी।

16. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी जिसे विभाग द्धारा संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से नियमानुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

16. दरें अनुमोदन करना / न करना तथा निविदा को निरस्त करने का सम्पुर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित

1 5

17. यदि फर्म/वाहन मालिक/ ठेकेदार का कार्य विभाग के मापदण्ड अनुरुप संतोषप्रद नहीं हुआ तो यह विभाग का अधिकार होगा की 7 दिन का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

18. सभी विधिक मामलों में न्याय क्षेत्र वल्लभनगर रहेगा।

19. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ-9(1) एफ.डी/(1)/बजट/2015 **दिंनाक 15** जुलाई 2015) में वर्णित नियमों का भी पालन वाहन मालिक द्धारा किया जा सकता है।

20. वाहन मालिक से वार्षिक व्यय के आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभुति ( Performance Security ) रु. 5,000 / – एफ.डी.आर. के रुप जमा कराई जायेगी।

SOLLEGE OF VET. & ANIMAL SCIENCE
NAVANIA, W ASHEAGAS

मैंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य/स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदाताः— निविदाता का नामः— पुरा पताः— मोबाईल नं•ः—

## दर प्रपत्र

क्र• सं•	वाहन के प्रकार	वाहन मिक्	वाहन का क्रय वर्ष
1.	टवेरा		
2.	इनोवा		
3.	बोलेरो	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	वाहन नॉन ए.सी.	वाहन ए•सी•	रात्रि विश्राम चार्ज
दर प्रति किलोमीटर प्रति दिन			
पहले 1500 किलोमीटर अथवा इससे कम			
के लिए कुल मासिक भुगतान			The second second
1500 किलोमीटर से उपर परन्तु 2000			
किलोमीटर से कम अतिरिक्त दर			
/किलोमीटर प्रतिमाह			
2000 किलोमीटर के लिए मासिक भुगतान			

नोट :- वाहन का रात्रि विश्राम चार्ज केवल मुख्यालय के बाहर ही देय होगा।

दिनांक :-

निविदाता का नाम:— पुरा पता:— मोबाईल नं•:— संलग्न पत्रो का विवरण :— ८५० ग्रीक्य हस्ताक्षर निविदाताः—

COLLEGE OF VET. & ANIMAL RCIENCE NAVANIA, VA - MICHNAGAR